[प्रथम बार असाधारण राज-पत्र, भाग 4(क) दिनांक 4 फरवरी, 1976 में प्रकाशित हुआ]

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी **4, 1976**

संख्या प. 2(39)विधि।75:--राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 4 फरवरी, 1976 ई. को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976

(अधिनियम संख्या 5 सन 1976)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 4 फरवरी, 1976 को प्राप्त हुई]

राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया के विनियमन तथा उससे सम्बन्धित मामलों का विधिमान्यकरण उपबंधित करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976 है।

(2) यह 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक विषय द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है; तथा

(ख) 'अधिकारिता' से, संविधान के अथवा उसके अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियमों के अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आयोग के प्रति निर्देश में, आयोग की शक्तियां, कर्तव्य तथा उसके कृत्य अभिप्रेत है।

3. आयोग की प्रक्रिया.- (1) आयोग का अध्यक्ष, उसका एक अथवा एक से अधिक सदस्य संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से आयोग की अधिकारिता का प्रयोग कर सकेंगे।

(2) आयोग की अधिकारिता का प्रयोग उप-धारा (1) में उपबंधित प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं, साक्षात्कारों, मौखिक परीक्षाओं तथा ऐसी अन्य रीति द्वारा किया जा सकेगा जो प्रत्येक मामले में अथवा सामान्य रूप से उचित समझी जाय।

(3) आयोग का अध्यक्ष, समय समय पर आयोग का कार्य वितरित कर सकेगा तथा ऐसा करते समय वह --

(i) किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग की बाबत अथवा सामान्य रूप में आयोग की अधिकारिता का एकल अथवा संयुक्त रूप से प्रयोग करने के लिये एक अथवा एक से अधिक सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकेगा, तथा

(ii) ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग के लिये निदेश कर सकेगा जिनमें आयोग की अधिकारिता का प्रयोग, स्वयं तथा समस्त सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा स्वयं द्वारा एकल रूप से अथवा ऐसे एक या एक से अधिक सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा जैसा उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

4. <u>आयोग के कतिपय कार्यों का विधिमान्यकरण</u>.- किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी तथा आयोग के प्रतिनिधित्व में अथवा उसके गठन में किसी अभाव या त्रुटि के होते हुये भी-

(क) आयोग की अधिकारिता का प्रयोग करने में अध्यक्ष द्वारा अथवा आयोग के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा, धारित परीक्षाएं या चयन, की गई सिफारिशें तथा दिये गये परामर्श अथवा सुझाव सहित, की गई सभी बातें एवं कार्यवाहियां वैसी ही विधिमान्य एवं प्रभावी समझी जायेंगी तथा सदैव ही विधिमान्य एवं प्रभावी रही समझी जायेंगी मानो ऐसे की गई बातें, कार्यवाहियां, धारित परीक्षाएं या चयन, की गई सिफारिशें तथा दिये गये परामर्श अथवा सुझाव, अध्यक्ष सहित आयोग के समस्त सदस्यों द्वारा किये गये थे; तथा

(ख) अध्यक्ष द्वारा अथवा आयोग के किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों द्वारा, संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से, धारित परीक्षाओं अथवा चयनों, की गई सिफारिशों, दिये गये परामर्श अथवा सुझावों सहित की गई बातों, कार्यवाहियों पर, केवल इस आधार पर किसी भी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जायेगा कि ऐसी बात, कार्यवाही में, परीक्षा अथवा चयन करने में, सिफारिशें अथवा परामर्श तथा सलाह देने में आयोग के समस्त सदस्यों ने कार्य नहीं किया था।

5. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u>.- (1) राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1975 (राजस्थान अध्यादेश 16, सन 1975) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसा निरसन होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन अथवा अनुसार अध्यक्ष द्वारा अथवा आयोग के किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों द्वारा, संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से धारित परीक्षा से अथवा चयन, की गई सिफारिशें, दिये गये परामर्श अथवा सुझाव सहित की गयी समस्त बातें एवं कार्यवाहियां उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन या अनुसार की गई समझी जायेंगी।

गोपालकृष्ण शर्मा,
शासन सचिव।